प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

प्रक्षेत्र अधीक्षक/प्रक्षेत्र प्रबन्धक,
राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, निबलेट–बाराबंकी/मझरा–लखीमपुर–खीरी/नीलगॉव–सीतापुर।

संख्या– /बजट/29(5)/अनु0–83/01/RKVY/2018–19 दिनांक 17-12-18

विषय– **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पशुपालन विभाग की परियोजनाओं के संचालन हेतु धनराशि का ऑवटन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृषि अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–1001(1)/12–3–2018–100(07)/2016टीसी,दि0 13 नवम्बर, 2018 द्वारा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत संचालित पूँजीगत परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में निम्नलिखित विवरणानुसार निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र के पत्र सं0–2296/प0–2/आर.के.वी.वाई./31(15)च/2018–19,दि0 13–12–2018 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए योजना के सफल संचालन हेतु Alloment Grid Report में उल्लिखित धनराशि आपको निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु ऑवटित की जाती है। शर्तो से विचलन की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

(धनराशि रू0में)

कार्यकम का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	मानक मद	ऑवटित धनराशि
Strengthening and modermization of Govt. Livestock farm at Niblet Barabanki	प्रक्षेत्र अधीक्षक,राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, निबलेट–बाराबंकी	24–बृहत् निर्माण कार्य 26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	रू0 2591000.00 रू0 1790000.00
Strengthening and modermization of Govt. Livestock farm at Majhera Lakhimpur Kheri	प्रक्षेत्र प्रबन्धक,राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, मझरा, लखीमपुर–खीरी	24–बृहत् निर्माण कार्य	रू0 57579000.00
Strengthening and modermization of Govt. Livestock farm at Neelgaon Sitapur	प्रक्षेत्र प्रबन्धक,राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, नीलगॉव–सीतापुर	24–बृहत् निर्माण कार्य	रू0 45524000.00

(1) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा उक्त लेखाशीर्षक में पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही ऑवटित धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(2) ऑवटित की जा रही धनराशि का ऑवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित,बाह्य सहयातित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिसमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान(गैरवेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शा0सं0–3497/123–2012–100(70)/2012,दिनांक 7–11–2012 के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(3) निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा ऑवटित धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2/2015/बी–1–925/दस–2015–231/2015,दिनांक 30–3–2015 के संगत प्राविधान के अनुसार आहरित कर प्रश्नगत परियोजना यथा Strengthening and modermization of Govt. Livestock farm at Niblet Barabanki हेतु उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0,लखनऊ एवं Strengthening and modermization of Govt. Livestock farm at Majhera Lakhimpur Kheri तथा Strengthening and modermization of Govt. Livestock farm at Neelgaon Sitapur हेतु उ0प्र0आवास विकास परिषद को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) ऑवटित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस. एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा–निर्देशों/गाइड लाईन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाये जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है तथा आय–व्ययक में प्राविधानित हैं किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जाये और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जाये।यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध कराई जाये। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाया। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भैतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही निदेशक,पशुपालन विभाग,उ0प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(6) उक्त ऑवटित धनराशि का समय पर सदुपयोग एवं उपभोग आगामी समय सारिणी बनाकर सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) ऑवटित की जा रही धनराशि से सम्भावित व्यय की फेजिंग,कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय। जहॉं तक सम्भव हो,व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तकाल आवश्यकता होने पर ही किया जाय.ऑवटित धनराशि का आहरण एकमुश्त न किया जाय क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन(कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही रखी जायेगी यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(8) ऑवटित की जा रही धनराशि के व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06–06–1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्स ऑफ फाइनेंन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(9) आहरण वितरण अधिकारी ऑवटित धनराशि से जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइड पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण नोडल अधिकारी, मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय ।

(10) वित्त लेखानुभाग–1 के शासनादेश सं0–ए–1–285/दस–2012–10(29)/2011टी0सी0–।।,दि0 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र सं0–1–11011/58/2013–डी.बी.टी., दिनांक 25–2–2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः ऑवटित धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

(11) उक्त ऑवटित धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ का होगा ।

(12) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–83 के अधीन लेखाशीर्षक–4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–0203–पशुपालन की पूँजीगत योजनाएँ (के.60/रा.40–के.+रा.) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

(13) ऑवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन पंजिका के क्रम संख्या–01 (अनुदान–83) पर अंकित कर ली गई है ।

संलग्नकः यथोपरि ।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक।

संख्या– 1118 /बजट/29(5)/अनु0–83/01/RKVY/2018–19, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, सीतापुर/बाराबंकी/लखीमपुर–खीरी।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–I)/लेखानुभाग,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(3) अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग–3,सचिवालय,लखनऊ ।
(4) अनुसचिव,पशुधन अनुभाग–2,उ0प्र0शासन, सचिवालय,लखनऊ ।
(5) निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।
(6) उप निदेशक(प्रक्षेत्र)पशुपालन विभाग,महानगर,लखनऊ ।
(7) योजनाधिकारी अपर निदेशक(गो0वि0)/नोडल अधिकारी,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,मु0 को निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र के पत्र सं0–2296/प0–2/आर.के.वी.वाई./31(15)च/2018–19,दि0 13–12–2018 में दिये गये आवंटन प्रस्ताव के अनुसार धनराशि का ऑवटन संबंधित को किया जा रहा है। कृपया व्यय संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश संबंधित आ0वि0 अधिकारी को अपने स्तर से देने का कष्ट करें तथा व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्य नोडल अधिकारी/संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(8) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय ।
(9) कम्प्यूटर आपरेटर,मु0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।
(10) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय ।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-17/12/2018

प्रेषण संख्या:- 1118
आवंटन आदेश संख्या:- 005-29-5-ANU-83-01-RKVY-2018-19
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
02 - राष्ट्री य कृषि विकास योजना
03 - पशुपालन की पूंजीगत योजनायें(के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	योग
1	सीतापुर-2294-मु0त0अ0-प्र0 प्रब0-अधी-0 रा0पशु0एवं कृषि प्र0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	45524000 45524000	0 0	45524000 45524000
2	लखीमपुर खीरी-2294-मु0त0अ0-प्र0 प्रब0-अधी-0 रा0पशु0एवं कृषि प्र0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	57579000 57579000	0 0	57579000 57579000
3	बाराबंकी-2294-मु0त0अ0-प्र0 प्रब0-अधी-0 रा0पशु0एवं कृषि प्र0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	2591000 2591000	1790000 1790000	4381000 4381000
	योग	वर्तमान प्रगामी	105694000 105694000	1790000 1790000	107484000 107484000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़ चौहत्तर लाख चौरासी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ चौहत्तर लाख चौरासी हजार

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक